तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 219/2021 अनवान वीरमाराम वगैरा बनाम रामाराम वगैरा
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगने की ढ़ाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 20.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंगने की ढ़ाणी पर पत्रावली पेश हो। (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
20.11.2021 (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगने की ढ़ाणी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंगने की ढ़ाणी पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 तक की तरफ से श्री सुखदेव जाखड़ अधिवक्ता का वकालत नामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं विप्रार्थीगण कर्म संख्या 01 से 16 की तरफ से प्रस्तुत ईकबाली जवाब को बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण कर्म संख्या 01 से 16 के ईकबाली जवाब अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता भीखाराम ने विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज पदमाराम से 18 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.09.1959 को खरीदसुदा भूमि के हिस्सा व पड़ौस खोलकर मोल प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था। पंजीबद्व बेचान के माफिक ही पदमाराम ने प्रार्थीगण के पिता भीखाराम का खरीदसुदा भूमि पर उसी समय कब्जा करवा दिया था। जिस पर ढ़ाणीयां, टांके बने है। उक्त बेचान का नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 16.02.1962 को भरा गया परन्तु पटवार हल्का पंजीबद्व बेचान के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 31 की पुश्त पर न तो तरमीम नक्शा बनाया गया और न ही पृथक से खसरा नंबर खरीदसुदा भूमि के अंकित किये गये। प्रार्थीगण के पिता लगातार वक्त खरीद से उक्त क्रयसुदा भूमि पर बेचान अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे जिस पर प्रार्थीगण के पिता ने अपने रहवासी ढ़ाणीयां, टांके, बाड़े आदि बनाकर काश्त व रहवास करते रहे, उसके पश्चात् प्रार्थीगण भी आज दिन तक रहवास व काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थी संख्या 3 हरखू द्वारा उक्त भूमि में से 06 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 16 रूपोंदेवी को करने पर उसका नामान्तरकरण संख्या 81 भरा गया तक पटवार हल्का ने भारी कानूनी भूल करते हुऐ प्रार्थीगण के पिता के

खरीदसुदा भूमि की गलत तरमीम व रूपोंदेवी के खेत की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 81 की पुश्त पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 529/309 व रूपोंदेवी की खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 589/309 कर दी जो बिलकुल गलत व विधि विरूद्व है, जो निरस्त कर शुद्विकरण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार पद संख्या 5 में अंकित तथ्यों अनुसार तरमीम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर एतराज नही है। इस प्रकार पटवार हल्का द्वारा वादग्रस्त मूल खसरा नंब 309 की समस्त तरमीम एक के बाद एक गलत की जाती रही है जिससे पक्षकारों में कब्जे काश्त को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। इसलिये सन्पूर्ण मूल खसरा नंबर 309 की तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त मूल खसरा नंबर 309 मौजा लाणीकांठा की समस्त गलत की गयी तरमीमें निरस्त कर पुनः सही तरमीमें पक्षकरों की खरीदसुदा व कब्जे काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो इम विप्रार्थीगण को कोई उजर एतराज नही है तथा हम पूर्ण रूप से सहमत है।

प्रार्थीगण ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने पूर्वज पदमाराम पुत्र उम्मेदाराम खातेदारी खेत मौजा लाणीकांठा पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के मूल खसरा नम्बर 309 रकबा 306.08 बीघा जो वर्तमान मे विभिन्न बैचान होने से अलग–अलग बट्टा नंबर पड़ने से छोटे टुकड़ो मे विभाजित हो गई है, कि तरमीम गलत होने से पूरे खसरे की तरमीम निरस्त कर पुनः नये सिरे से सभी खातेदारों के कब्जे एवं काश्त के अनुसार करने हेतु निवेदन किया गया।

अतः विप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 के ईकबाली जवाब एवं सहमती के आधार पर आवेदन स्वीकार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के तहत् मौजा लाणीकांठा पटवार क्षैत्र कुड़ला तहसील एवं जिला बाड़मेर के मूल खसरा नम्बर 309 रकबा 306.08 बीघा मे की गई समस्त तरमीमों को निरस्त किया जाकर नये सिरे से सभी काश्तकारों के बेचाननामों के अनुसार उनके कब्जा एवं काश्त अनुसार तरमीमें नये सिरे से दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को निर्देश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर